भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ
फा. सं. 6/30/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 29 सितंबर, 2025

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला सं. एडी (ओआई) - 27/2025

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ के मूल अथवा वहां से निर्यातित "4-एमिनोडाइफेनिलएमाइन (जिसे 4-एडीपीए के रूप में भी जाना जाता है)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. **फा. सं. 6/30/2025-डीजीटीआर:** समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, मै. एनओसीआईएल लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "एडी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है)।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और क्षति का खतरा है और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

3. आवेदक, एनओसीआईएल लिमिटेड, 4-एडीपीए का घरेलू उत्पादक है और उसने अनुरोध किया है कि इस मध्यवर्ती वस्तु के पाटित आयात से उसके प्रचालन को भारी क्षति हो रही है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "4-एमिनोडाइफेनिलामाइन" है, जिसे "4-एडीपीए" या "4-एन-फेनिलबेंजीन-1,4-डायमाइन" भी कहा जाता है।

5. 4- एडीपीए एक रबर रासायनिक मध्यवर्ती है जो 'रबर रसायन' के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पीएक्स -13 (एन-(1,3-डाइमिथाइलब्यूटाइल)- एन'-फेनिल-पी-फेनिलेनेडायमाइन) के उत्पादन में किया जाता है, जिसे 6पीपीडी भी कहा जाता है, और कुछ हद तक आईपीपीडी के उत्पादन में भी।

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई भार है, जिसे मीट्रिक टन (एमटी) में व्यक्त किया जाता है। आवेदन में सभी जानकारी एमटी में प्रस्तुत की गई है।

7. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि व्यापारिक बिक्री के लिए उत्पादित और बेचे गए 4- एडीपीए और पीएक्स -13 उत्पादन के लिए कैप्टिव रूप से हस्तांतरित 4- एडीपीए की रिपोर्ट अलग-अलग की गई है। हालाँकि, वर्तमान जाँच के उद्देश्य से इसे एक ही उत्पाद माना गया है।

8. जाँचाधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 2921 44 10 और 2921 51 90 के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि, यह संभव है कि संबंधित वस्तुओं का आयात अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी किया जा सकता है और इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. वर्तमान जांच के पक्षकार, प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पी.सी.एन., यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित संबद्ध वस्तु, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। दोनों उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों और अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत:, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

11. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ हैं।

घ. जाँच की अवधि (पीओआई)

12. आवेदक ने जाँच की अवधि (पीओआई) के रूप में **1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025** तक की अवधि प्रस्तावित की है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि उपयुक्त पाई गई है। क्षति संबंधी जानकारी पीओआई और उससे पहले के तीन वर्षों, अर्थात् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदान की गई है।

ड़. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

13. यह आवेदन मेसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा बनाता है, इसलिए, वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए उसके पास अपेक्षित योग्यता है।

14. मेसर्स फिनोरकेम लिमिटेड ने जाँच अवधि (POI) के दौरान विचाराधीन उत्पाद (PUC) की कुछ मात्रा का उत्पादन किया है और आवेदन का समर्थन किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि आवेदक कुल भारतीय उत्पादन में 99% हिस्सेदारी रखता है। आवेदक ने यह भी कहा है कि उसने संबंधित देशों से PUC का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, उसका संबंधित देशों के किसी निर्यातक या भारत के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

15. इसके मद्देनजर, तथा जांच के पश्चात, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है तथा यह नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है।

च. कथित पाटन का आधार

चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुलग्नक-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

17. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और मूल्य से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया है, जिसमें उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजन किया गया है।

18. आरंभ के प्रयोजन के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को जोड़कर विधिवत समायोजित किया गया है।

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक यूरोपीय संघ में 4-एडीपीए के लिए सत्यापन योग्य घरेलू बिकी कीमत प्राप्त नहीं कर सका। अतः, सामान्य मूल्य, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को उचित लाभ के साथ विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद, उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है।

निर्यात कीमत

20. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत की गणना वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) के सौदा-वार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। कीमतों को कारखाना-द्वार स्तर पर ज्ञात करने के लिए उचित कीमत समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य से तुलनीय बन जाएं।

पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्टया दर्शाती है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

22. क्षति के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति को दर्शाते हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयातों और आर्थिक मानदंडों से संबंधित जानकारी दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण मूल्य में आई गिरावट ने घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और उचित प्रतिफल दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण वह कम क्षमता उपयोग और व्यापारिक बाजार में कम घरेलू बिक्री के साथ काम कर रहा है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यदि उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग को ऑर्डर दिए होते, तो वह आयात के बराबर उत्पादन और बिक्री कर सकता था। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए बिक्री विवरण से पता चलता है कि यद्यपि घरेलू बिक्री सीमित है, फिर भी यह क्षति अवधि में फैली हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उत्पाद की पाट ने कैप्टिव खपत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इसलिए, क्षति को कैप्टिव खपत सहित देखा जाना आवश्यक है। घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा और ब्याज एवं कर पूर्व घाटा हुआ है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर, तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जाँच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

24. उक्त नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत यथा निर्धारित सिद्धांतों का वर्तमान जाँच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

25. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों ds-dgtr@gov.in, ad12-dgtr@gov.in, एक प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

26. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित ढ़ग और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों ds-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in, एक प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से जिस तारीख को प्राधिकारी ने इसे भेजा था या निर्यातक देश के उचित राजनयिक को प्रेषित किया है, भेजी जानी चाहिए । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसा नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

31. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे।

32. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय

सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

34. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

35. किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे पर उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

36. हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालित होने के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें ।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी